न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/579

1. राधेश्याम पुत्र देवीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम दारोदा तहसील कठूमर जिला अलवर।

—अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर।

—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.11.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 3/19/2016 उनवानी सरकार बनाम प्रेमचन्द नवीरा व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थित—

1. श्री रमेश शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—10.06.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर राजस्थान के निर्णय दिनांक 08.11.2016 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा—5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम दारौदा तहसील कठूमर जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नंबर 210 में से 0.09 है0, 211 में से 0.01 है0, 377 में से 0.04 है0, 378 रकबा 0.03 है0, 512 में से 0.04 है0, 380 में से 0.03 है0 कुल किता 06 में से रकबा 0.24 है0भूमि के संबंध में तहसीलदार कठूमर द्वारा राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव भिजवाने जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 08.11.2016 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 08.11.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट राधेश्याम पुत्र देवीलाल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी कठूमर दिनांक 08.11.2016 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम दारौदा तहसील कठूमर जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नंबर 377 रकबा 0.24 है0 में से 0.04 है0, 378 रकबा 0.11 है0 में से 0.03 है0, के अपीलांट काबिज रिकार्डेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में से किसी भी तरह का कोई आम रास्ता या सडक नहीं है। आमजन के आवागमन हेतु अपीलार्थी की उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता ना तो राजस्व रिकार्ड में व ना ही मौके पर अवस्थित है। उपखण्ड अधिकारी, कठूमर ने अपीलान्ट खातेदार को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही तहसीलदार, कठूमर द्वारा तैयार की गई एक पक्षीय निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की खातेदारी में सेनया रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं। प्रकरण में अपीलान्ट एवं अन्य खातेदारों को, सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, ना ही विधिक प्रक्रिया का कोई पालन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131–132 तथा भू–राजस्व नियम 58 से 60 के अंतर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उक्त कार्यवाही के समय खातेदार को बिना सुने उनकी खातेदारी भूमि में गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे। प्रार्थी की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है एवं मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर दिनांक 08.11.2016 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार कठूमर जिला अलवर ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू एवं स्थाई प्रकृति का है एवं आवागमन हेतु काम आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रक्रिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 05.09.2023 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर द्वारा तहसीलदार कठूमर द्वारा राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव के आधार पर ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 के प्रावधानानुसार भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं।पटवारी हल्का दारौदा की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.09.2016 के अनुसार भी मौके पर खसरा नं. 377, 378 व 512 की दक्षिणी मेड में खसरा नं. 380 की उत्तरी मेड पर चौडी ग्रेवल सडक डली हुई है एवं खसरा नं. 377, 378, 512 में नक्शा लट्ठा पर लाल स्याही से डोटेड लाईन मिली हुई है एवं यह रास्ता कठूमर खेडली सडक से रा0मा0विद्यालय होते हुये आबादी क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं आवागमन जारी है। अतः इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि प्रश्नगत रास्ता मौके पर चालू, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध एवं राजस्व अभिलेख में स्थाई रूप से चालू रास्ते के अंकन की अभिशंसा की गई है। उक्त रास्ता कई खसरा नम्बरान् से गुजर रहा है। तहसीलदार कठूमर द्वारा मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये मौका अनुसार रास्ते का प्रस्ताव दिया गया हैं एवं उसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् उक्त रास्ते को खातेदारी से पृथक नहीं करते हुये भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 08.11.2016 को दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

<u>अतः आदेश है कि</u>: अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर का निर्णय दिनांक 08.11.2016 यथावत रखा जाता है।

(भूपेन्द्र)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।